संख्याः– 34 / 2021 / 1534 / छिहत्तर–1–2021–3 सम / 2020

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 03 जुलाई, 2021

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में इम्पैनल वेन्डर्स के माध्यम से कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में इम्पैनल वेन्डर्स के माध्यम से कार्य शुरू कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–03 / 2021 / 423 / छिहत्तर–1–2021–03 (शिकायत) / 2020, दिनांक 05 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05.02.2021 के अनुक्रम में जिलेवार कार्यदायी संस्थाओं को ग्रामों की संख्या आवंटित की गई थी और उसके अनुक्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कतिपय गॉवों की सूची भी कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी है, जिनके सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जो डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अनुमोदित कराकर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की गयी है और की जा रही है, उनकी लगातार नियमानुसार स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समति में की जा रही है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 30.06.2021 को सम्पन्न बैठक में वे सभी योजनाएं रखी गयी थी, जो कि 08 जून, 2021 के पहले जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अग्रसारित होकर आ गयी थी।

3– राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से अनुमोदित होने के उपरान्त सभी योजनाओं का एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधि (अधिशासी अभियन्ता, जल निगम) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत सचिव, इन तीन व्यक्तियों के मध्य निष्पादित किया जाएगा। त्रिपक्षीय अनुबन्ध का ड्राफ्ट राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पृथक से भेजा जा रहा है।

4– राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के तत्काल उपरान्त जिले में युद्धस्तर पर यह अनुबन्ध करा लिये जायें और उसके उपरान्त मौके पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए।

5– त्रिपक्षीय अनुबन्ध, चूंकि कई ग्राम पंचायतों के एक साथ होने है, इसे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर अथवा किसी अन्य स्तर पर कैम्प लगाकर भी कराया जा सकता है। अनुबन्ध के कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिधियों की उपस्थिति में कराये जायें। इस आयोजन के लिए शासन द्वारा निर्धारित दरों एवं मानकों के अनुसार व्यय अनुमन्य होगा। इसके बारे में राज्य पेयजल

एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे है। उक्त आयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग की अनुसूचित दर के आधार पर नियमानुसार व्यय अनुमन्य होगा।

6– उचित होगा कि उक्त कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कराये जाये, जिसमे क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए ताकि योजनाओं का अधिकतम प्रचार–प्रसार हो सके।

7– त्रिपक्षीय अनुबन्ध के उपरान्त सम्बन्धित इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) से अपने क्षेत्र के कार्यक्रम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का ग्राम कार्ययोजना (Village Action Plan) भी प्राप्त किया जाए।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

34/2021/

संख्याः–/1534(1)/छिहत्तर–1–2021–3सम/2020, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित मामले में त्रिपक्षीय अनुबंध का ड्राफ्ट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अनुबंध के लिए कार्यक्रम कराये जाने हेतु यथावश्यक निर्देश अपने स्तर से तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।
7. समस्त कार्यदायी संस्थाएं (द्वारा जिलाधिकारी)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव

F:\Old computer\2021\SOND-2021.docx